मु.नं.–05 / 2021 GCMS ID-2021/14 ता.रजु–15.01.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

हिमांशु पाराशर पुत्र श्याम पाराशर, उम्र 23 वर्ष जाति ब्राह्मण, निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली, तहसील व जिला करौली राज. – अपीलार्थी

**बनाम**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 27.01.2021, 10.02.2021, 17.02.2021, 24.02.2021, 02.03.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ओमप्रकाश पाराशर पुत्र लक्ष्मीनारायण पाराशर इन्द्रा कॉलोनी करौली की वृद्धावस्था पेंशन कब से एवं किस दस्तावेज के आधार पर जारी की गई है, आज तक कुल कितनी पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, पेंशन आवेदन मय संलग्न दस्तावेज, वर्षवार पेंशन का विवरण आदि की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–प.(02)सलोसूअ / करौली / सूचना / 2020 / 94 दिनांक 21.01.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्र क्रमांक 727 दिनांक 15.12.2020 द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवाया जा चुका है। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली